न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/89/2023	2023/491	26–07–2023	18–12–2024

1. जोरावर सिंह पुत्र चिरंजी लाल यादव जाति अहीर
2. मोती लाल पुत्र चिरंजी लाल यादव जाति अहीर
3. महेन्द्र सिंह पुत्र चिरंजी लाल यादव जाति अहीर
4. राजेंद्र पुत्र चिरंजी लाल यादव समस्त जातियान अहीर निवारीयान नंगली मुंशी तहसील व जिला अलवर राज।

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार अलवर जिला अलवर (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर
निर्णय दिनांक 26.08.2020

उपस्थितः–
01–श्री भूपेन्द्र कुमार सोनी –वकील अपी0
02–राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0

–:**निर्णयः**–

अपीलान्टान ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर के आदेश दिनांक 26.08.2020 जिसके द्वारा अपी0 की अपील खारिज की गई है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आलोच्य निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20–01–21 को पटवारी हलका के माध्यम से हुई जिस पर दिनांक 21–01–21 को आलोच्य निर्णय की नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 28–01–21 को प्राप्त हुई। जिसे वकील साहब को दिखाया तो उन्होने अपील करने की सलाह दी। जिस पर खर्चे का इंतजाम किया गया तथा दिनांक 30–01–21 व 31–01–21 का अवकाश होने के कारण अपील आज बिना देरी के पेश की जा रही है। जो कि तारीख जानकारी से अंदर अवधि पेश है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वह उक्त कारण से हुई है जो कि नेकनियती वो युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिए जाने योग्य है। जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 05 ग्याद कानून अलग से पेश है। न्यायालय तहसीलदार अलवर के निर्णय के खिलाफ यह अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। हलका पटवारी कस्बा डहरा ने तहत अदालत में एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि आराजी खसरा नंबर 135 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म चाही सोयम मुताबिक राजस्व रिकार्ड जोरावर सिंह, मोती लाल, महेन्द्र सिंह, राजेन्द्र पिता स्वर्गीय चिरंजीलाल कौम अहीर निवासी नंगली मुंशी खातेदार हि० राजेन्द्र, मोती लाल, महेन्द्र सिंह राहिन बी०आर०के०जी०बी० शाहपुरा गु०बि०क० के नाम दर्ज रिकार्ड है। बिना संपरिवर्तन कराये मौके पर 16ग30 वर्गफुट जगह में टीन शेड लगा कर निर्माण कर रखा है। मौके पर उक्त दुकानो में से एक दुकान शराब ठेके के काम आ रही है। जो मंजू देवी जायसवाल के नाम से ग्राम कस्बा डहरा के लिए सैन्शन है। संलग्न किरायानामा दस्तावेज के अनुसार उक्त दुकान 6000/– रूपया प्रतिमाह के किराये पर ठेका समूह को दी गई है। मौके पर शराब की दुकान चालू है अर्थात व्यवसायिक उपयोग में आ रही है। आ०ख0नं0 135 रकबा 0.73 है0 में से

लगभग 0.01 है० अर्थात 100 मी० भूमि मौके पर व्यवसायिक उपयोग में आ रही है शेष कृषि
प्रयोजन उपयोग की जा रही है। उक्त आराजी में से 0.01 है0 पर दो पक्की दुकाने बना कर
बिना रूपांतरण कर शराब ठेका चालू कर व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है।
जिस रिपोर्ट पर तहत अदालत द्वारा प्रकरण संख्या 03/18 अंतर्गत धारा 90–ए एल. आर. एक्ट
दर्ज किया गया। जिस प्रकरण का दिनांक 26–08–2020 को निर्णय किया जाकर विधि विरूद्ध
व बेजा तरीक पर अपीलाण्टान को आराजी खसरा नंबर 135 रकबा 0.73 है० में 0.01 हैक्टर से
बेदखल किए जाने तथा आराजी के लगान 4.00 रूपये राशि की 50 गुणा पेनेल्टी (शास्ति) राशि
200/– रूपये से आरोपित किए जाने तथा निर्मित भूमि पर धारा 177 के प्रकरण तैयार कर
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को प्रेषित किए जाने के आदेश दिये गये है कि जिस
निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है। जो कि निम्न आधारों पर
स्वीकार होने तथा आलोच्य निर्णय व आज्ञा तहत अदालत खारिज होने योग्य है। अपीलाण्टान
ने ग्राम कस्बा डहरा स्थित आराजी खसरा नंबर 135 में 16ग30 वर्गफुट में कोई अतिक्रमण नही
किया है बल्कि उक्त आराजी अपीलाण्टान की मिलकियत की आराजी है। जिसमें अपीलाण्टान ने
अपनी फसल आदि रखने के लिए एक पक्क कमरा बनाया हुआ है जिसका क्षेत्रफल 300
वर्गगज से कम था और मुताबिक कानून कोई भी कृषक अपनी कृषि भूमि में फसल, बीज, कृषि
उपकरण आदि रखने के लिये 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल में पुख्ता निर्माण कर सकता है ।
इसलिए अपीलाण्ट द्वारा फसल आदि रखने के लिये किये गये पुख्ता निर्माण के समय कोई
गैरकानूनी कृत्य नहीं किया गया है। अपीलाण्टान के खिलाफ पटवारी हलका ने जो शिकायत
की है वह अपीलाण्टान से रंजिश रखने वाले अर्जीनवीस दिनेश भार्गव पुत्र लक्ष्मीनारायण भार्गव
निवासी 592 स्कीम नंबर 10 विवेक विहार अलवर राज. की शह व रंजिशवश की गई है।
तहसील अलवर में अर्जीनवीस का लाईसेंस लेकर बिना सरकार को टैक्स दिये हुये करोडों की
प्रोपर्टी का लेन देन करने वाले दिनेश भार्गव ने कस्बा डहरा में विराजमान मंदिर मूर्ति श्री चरण
दास जी महाराज की मिलकियत की करोडो रूपये मूल्य की कृषि भूमि को मंदिर के महंत से
मिल कर कागजो में फर्जकारी करते हुये कय कर लिया था जिस बाबत मिन अपीलाण्टान ने
अन्य लोगो के साथ मिल कर दिनेश भार्गव के विरूद्ध माननीय जिला न्यायाधीश अलवर के
न्यायालय में दो मुकदमें दायर किये थे जिन मुकदमो में न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
संख्या 3 ने मुकदमा संख्या 41/2011 व 42/2011 के रूप में फैसला करते हुये दिनेश भार्गव
व उसके साथियो द्वारा कोडियो के दाम कय की गई करोडों रूपयों की कृषि भूमि जिसकी
मिलकियत मंदिर मूर्ति श्री चरणदास जी महाराज की थी, की रजिस्टरी को निरस्त करने के
आदेश पारित किये है जिन आदेशों से चिढ कर ही दिनेश भार्गव तहसील परिसर में बैठने का
व तहसील के स्टाफ से जान पहचान होने का नाजायज फायदा उठा कर अपीलाण्ट के विरूद्ध
आये दिन झूठी शिकायते करता रहता है। अन्यथा पटवारी हलका को यह बखूबी ज्ञान था कि
अपीलाण्ट द्वारा किया गया निर्माण अवैध निर्माण नही है नाही नियम व शर्तों के विपरीत है।
फिर भी अपीलाण्ट के खिलाफ झूठी रिपोर्ट पेश करदी तथा पूरे विश्व में कोराना महमारी
कोविड–19 का प्रकोप होने तथा संपूर्ण भारत वर्ष में लॉक डाउन घोषित होने की अवधि में
दिनेश भार्गव ने अपनी झूठी शिकायत पर अपीलांट के खिलाफ निर्णय कराया है। जबकि अन्य
हिस्सेदारों ने भी निर्माण किया हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ पटवारी हलका ने कोई रिपोर्ट
नही की। जो काबिल गौर श्रीमान है। कालांतर में अपीलाण्टान की कृषि भूमि के लिये उपलब्ध
सिंचाई के साधन में पानी सूख जाने के कारण अपीलाण्टान अपनी भूमि में सही रूप से कृषि
कार्य नहीं कर पा रहे थे जिस कारण अपीलाण्टान को अपने परिवार को रोटी खिलाने की
मजबूरी के चलते फसल रखने के लिये बनाये गये परिसर को किराये पर देना पडा। यदि
न्यायालय श्रीमान अपीलाण्टान की मजबूरी को अतिक्रमण मानते है तो अपीलाण्टान आदेश होने
पर उक्त परिसर का संपरिवर्तन कराने को तैयार है। आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व तहत
अदालत ने अपीलाण्टान को उचित व समुचित सुनवाई का अवसर नही दिया गया नाही साध्य
सूबूत पेश करने का अवसर दिया अपितू अपीलाण्टान को बिना सुनवाई व साक्ष्य सूबूत पेश
करने का पर्याप्त अवसर दिये। आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो कि सरासर गलत तथा

निरस्तनीय है। आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व तहत अदालत ने ना तो स्वयं ने मौका देखा नाही मौके की रिपोर्ट तलब की। यदि ऐसा किया जाता तो प्रकट व साबित होता कि अपीलाण्टान द्वारा किया गया निर्माण कार्य किसी प्रकार से अवैद्य वो अनाधिकृत नही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील मंजूर की जाकर आलोच्य निर्णय दिनांक 26–08–2021 तहसीलदार अलवर राज.बसिलसिले प्रकरण संख्या 03/18 अंतर्गत धारा 90–ए एल० आर० एक्ट अपास्त फरमाए जाने की कृपा करें।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी कस्बाडहरा एवं भू0अ0 निरीक्षक कस्बाडहरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 135 रकबा 0.73 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कस्बाडहरा अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 135 रकबा 0.73 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम में से 16X30 वर्गफुट कृषि भूमि बिना संपरिवर्तन के टीन शेड लगाकर दुकान निर्माण एवं गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अपीलाण्ट द्वारा किया गया उक्त आराजी में से 16X30 वर्गफुट पर किया गया निर्माण आदि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 26.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)